भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4011

उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

स्कूल और सार्वजनिक सुविधा संबंधी भवनों की सुरक्षा संपरीक्षा

†4011. **श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:**
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा संहिताओं और आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुसरण में बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्कूल और सार्वजनिक सुविधा संबंधी भवनों की सुरक्षा संपरीक्षा करने का निर्देश दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) इन संपरीक्षाओं के दौरान संभावित रूप से मूल्यांकित किए जाने वाले प्रमुख मापदंडों का ब्यौरा क्या है और मानक सुरक्षा नवाचारो और आपातकालीन तैयारी के उपायों की रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या इन संपरीक्षाओं को पूरा करने और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ-साथ व्यापक सुरक्षा संपरीक्षा करने के लिए कोई समय-सीमा या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है कि सुरक्षा संपरीक्षाएं स्वतंत्र और पारदर्शी रूप से तथा बिना किसी पक्षपात या प्रशासनिक हस्तक्षेप से की जाएँ;

(ङ) उक्त संपरीक्षाओं के दौरान कमियां पाए जाने की स्थिति में अनुपालन की निगरानी करने और सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने कम संसाधन वाले स्कूलों को सुरक्षा उपायों को लागू करने और मानदंडों के अनुसार संपरीक्षाएं करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता या बजटीय आवंटन का कोई प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार सभी स्कूलों में आपातकालीन तैयारियों के लिए कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (छ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश एडवाईजरी प्रकृति के हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन्हें लागू करें और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इनमें परिवर्धन/संशोधन कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने 26 जुलाई 2025 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। यह दिनांक 27.02.2017 को जारी "स्कूल सुरक्षा और संरक्षा दिशानिर्देश" (2021) और स्कूल सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (एनडीएमए, 2016) के संदर्भ में है और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संहिताओं के अनुसार स्कूलों और बच्चों से संबंधित सुविधाओं की सुरक्षा लेखा परीक्षा, आपातकालीन तैयारियों में कर्मचारियों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, और परामर्श एवं सहकर्मी नेटवर्क के माध्यम से मनोसामाजिक सहायता का प्रावधान शामिल है। मंत्रालय ने शिक्षा विभागों, स्कूल बोर्डों और संबद्ध अधिकारियों से इन उपायों को लागू करने में अविलंब कार्रवाई करने का आग्रह किया है। निदेश इस लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss2607.pdf

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने 7 अगस्त 2025 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षा लेखा परीक्षा के माध्यम से असुरक्षित एवं जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों की तत्काल पहचान करने, यदि आवश्यक हो तो उन्हें ध्वस्त करने या संरचनात्मक रूप से असुरक्षित संरचनाओं की मरम्मत करने और सुरक्षित प्रमाणित होने तक उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निदेश दिया है। प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि वे जहाँ आवश्यक हो, अस्थायी स्कूल की व्यवस्था करें, ध्वस्तीकरण के कारण उत्पन्न स्थान का सदुपयोग करें, नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, और किसी भी स्थान का पुनः उपयोग करने के लिए सुरक्षा/संरचनात्मक उपयुक्तता अनुपालन प्रमाणन सुनिश्चित करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उपर्युक्त उपायों को कड़ाई से लागू करें और रोकथाम योग्य अवसंरचनाओं की खराबी के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की चोट और जानमाल की हानि से बचें। निदेश इस लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss07008.pdf

इससे पूर्व, भारत सरकार ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं: -

1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा पर दिशानिर्देश दिनांक 01.10.2021 को जारी किए गए। ये दिशानिर्देश डीओएसईएल की वेबसाइट

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf पर अपलोड किए गए हैं।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए, 2016) द्वारा स्कूल सुरक्षा नीति पर दिशानिर्देश दिनांक 27.02.2017 को जारी किए गए। ये दिशानिर्देश इस लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/rte/Guidelines_feb.pdf

3. एनसीपीसीआर ने विभिन्न दिशानिर्देशों की जाँच और संकलन किया है और दिनांक 26.02.2018 को "स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर मैनुअल" शीर्षक से एक व्यापक मैनुअल तैयार किया है। यह मैनुअल इस लिंक पर उपलब्ध है:

https://ncpcr.gov.in/uploads/165604923562b54e531fe87_manual-on-safety-and-security-of-children-in-schools-sep-2021-2465-kb.pdf

इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व संरक्षा सुनिश्चित करने तथा विभिन्न हितधारकों और विभिन्न विभागों की जवाबदेही तय करने के प्रावधान शामिल हैं।

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सुरक्षित स्कूल वातावरण के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, मौजूदा सुरक्षा नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कार्यान्वयन में भूमिकाओं को स्पष्ट करना, स्कूल की गतिविधियों और परिवहन के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही तय करना और लापरवाही के लिए कड़ी 'शून्य सहनशीलता नीति' लागू करना है।

एनडीएमए के दिशा-निर्देशों में स्कूल सुरक्षा नीति संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी का प्रावधान है, जिसमें सुरक्षा लेखा परीक्षा, वार्षिक मॉक ड्रिल, अग्निशामक यंत्रों की स्थापना, स्कूल सुरक्षा और आपदा संबंधी तैयारी में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षण, ज्वलनशील और विषाक्त सामग्री के भंडारण के संबंध में सुरक्षा मानदंडों का पालन और केवल उन स्कूलों को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करना शामिल है जो विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा से संबंधित संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत, स्कूल की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए बजटीय प्रावधान उपलब्ध हैं, जिसमें सुरक्षा लेखा परीक्षा में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा वार्षिक प्रस्तावों में इसे शामिल करके मरम्मत, रेट्रोफिटिंग, कक्षाकक्ष, पेयजल, बिजली, बालिकाओं, बालकों और विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए शौचालय, चारदीवारी और अन्य नागरिक कार्यों के लिए निधि आबंटित की जा सकती है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय (मनरेगा), गृह मंत्रालय (एनडीआरएफ) आदि सहित अन्य विभागों/मंत्रालयों के अभिसरण के माध्यम से पूरक संसाधन उपलब्ध हैं।

*****